

डिग्री बगुलदम ईब्यादाई  
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
 स्यासालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी  
 पीतारसीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.  
 प्रकरण संख्या:-327/2020  
 मंगेजपाल पुत्र बलराम जाति जाट निवासी रामपूरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला  
 हनुमानगढ।  
 वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र हरीराम
2. सुरेन्द्र मोहन
3. नरेन्द्र
4. रविन्द्र
5. कैकई पत्नी बलराम

पि० बलराम } जाति जाट निवासीयान रामपूरा उर्फ रामसरा तहसील  
 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोवरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जागिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेत्र होकर हुवम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से चकनं० 3 आर डबल्यू डी के खाता सं० 45/29 में कुल 2.784 है० में से 1/3 हिस्सा, चकनं० 2 आर डबल्यू डी के खाता सं० 99/60 में कुल 4.820 है० में से 1/3 हिस्सा, चकनं० 1 आर डबल्यू डी के खाता सं० 26/13 में कुल 4.746 है० में से 1/3 हिस्सा, चक नं० 4 एजी के खाता सं० 17/8 में कुल 2.530 में से 1/3 हिस्सा, चक 2 एजी के खाता सं० 23/14 में कुल 13.244 है० में से 1/3 हिस्सा, चक 1 एजी के खाता सं० 38/20 में कुल 7.844 है० में से 1/3 हिस्सा, चकनं० 3 एजी के खाता सं० 35/18 में कुल 14.737 है० में से 1/3 हिस्सा व चकनं० 3 एजी के खाता सं० 24/21 में कुल 1.340 है० आराजी के वादी व प्रतिवादीसं० 2 ता 4 को ब०हि०ब० के खातेदार कस्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 3 आर डबल्यू डी के खाता सं० 45/29, चक 2 आर डबल्यू डी के खाता सं० 99/60, चक 1 आर डबल्यू डी के खाता सं० 26/13, चक 4 एजी के खाता सं० 17/8, चक 2 एजी के खाता सं० 23/14, चक 1 एजी के खाता सं० 38/20, चक 3 एजी के खाता सं० 35/18 व चकनं० 3 एजी के खाता सं० 24/21 में से प्रतिवादीसं० 1 बलराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की रिथति रहन मुक्त होने के फघात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....X...निल.....X...मुख्लिक...X...निल.....X...बाबत्.....X...निल.....X...खर्चा  
 मुकदमों के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक X.....  
 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.12.2020 को जारी किया



हाथ  
 सहायक कलक्टर  
 (मांगीलाल) अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी